संख्या-90/2025/आई/875430/23-1-25/001-23-1002(002)/35/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 09 फरवरी, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न मण्डल के विभिन्न जनपदों के 15 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मण्डलों के विभिन्न जनपदों **के स्वीकृत 15 चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 7,56,33,000/- (रूपये सात करोड़ छप्पन लाख तैंतीस हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	12169/CE-HQ1/RSN3054/GKP/2024-25	30-01-2025
2	12172/CE-HQ1/RSN3054/MIR/2024-25	30-01-2025
3	12258/CE-HQ1/RSN3054/BAR/2024-25	31-01-2025
4	12264/CE-HQ1/RSN3054/ALI/2024-25	31-01-2025
5	12291/CE-HQ1/RSN3054/BAR/2024-25	04-02-2025
6	12295/CE-HQ1/RSN3054/ALI/2024-25	04-02-2025
7	12313/CE-HQ1/RSN3054/BAR/2024-25	04-02-2025
8	12319/CE-HQ1/RSN3054/SAH/2024-25	04-02-2025

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा.ख. बरेली	जनपद बरेली में बल्लिया शीशगढ़ मार्ग से बिहारीपुर	445/2022/1164रा सनि/23-1-22/002-	499.53 499.53 414.64 10.24	445.43	43.86	43.86

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		अकीलाबाद होते हुए वसुधरन मार्ग पर बैगुल एवं डोडा नदी में आयी बाढ़ से क्षतिग्रस्त सेतु पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के रेस्टोरेशन /विशेष मरम्मत का कार्य।	03आरएसएन/2021टीसी-1-दिनांक-04-12-2022	489.29			
2	नि.ख.-1 एटा	सादाबाद जलेसर अवागढ मार्ग से निधौली जलेसर वाया उडेरी मार्ग	52 /2023/1356 रासनि (1)/23-1-22/001-57 आरएसएन/2022 टीसी-2 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	55.51 55.51 46.34 0.23 55.28	47.08	8.20	8.20
3	नि.ख. बदायूं	मिठठनपुर दहगवॉ अजीजपुर आदमपुर मार्ग	61 /2023/1356 रासनि (4)/23-1-22/001-58 आरएसएन/2022 टीसी-1 दि 07.01.2023-दिनांक-07-01-2023	158.42 158.42 5.49 152.93	77.99	74.94	74.94
4	प्रा.ख. बरेली	जुबेदा जुबेदी बिलासनगर भूता मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	438 /2022/1033 रासनि/23-1-2022/002-48 आरएसएन/2022 दि 25.11.2022-दिनांक-25-11-2022	136.40 136.40 0.70 135.70	125.92	9.78	9.78
5	प्रा.ख. सोनभद्र	मुराही फीडर से तेन्दुई सम्पर्क मार्ग	221/2023/1356 रासनि(22)/23-1-23/002-59 आरएसएन/2022 टीसी-दिनांक-18-02-2023	46.08 46.08 38.66 0.46 45.62	11.25	34.37	34.37
6	नि.ख. देवरिया	राज्य मार्ग सं0 79 देवरिया कसया मार्ग के किमी 3, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 25 में विशेष मरम्मत का कार्य। कुल लागत रू0 441.01 लाख (लागत रू0 422.01 लाख $ 4 वर्षीय अनुरक्षण लागत रू0 19.00 लाख)	221/2020/1161 रासनि/23-1-20-40 रासनि/20-दिनांक-31-12-2020	441.01 441.01 341.14 61.21 379.80	360.80	19.00	2.12
7	प्रा.ख. सोनभद्र	चोपन भरहरी मध्य प्रदेश बार्डर मार्ग का सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य। कि0मी0- 1(200), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37(240)	90 /2024/आई/515263/23-1-24/001-23-1002(002)/54/2024 -दिनांक-07-03-2024	980.06 980.06 788.23 41.00 939.06	728.52	210.54	81.89

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
8	प्रा.ख. सोनभद्र	लुम्बिनी दुद्धी राज्य मार्ग(एस0एच0-5) के कि0मी0-356, 357, 358, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 380, एवं 381 में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	90 /2024/आई/515263/23-1-24/001-23-1002(002)/54/2024 -दिनांक-07-03-2024	734.01 734.01 590.94 31.00 703.01	595.77	107.24	10.75
9	प्रा.ख. कासगंज	जनपद कासगंज में कासगंज बाईपास (दो लेन विद पेव्ड शोल्डर) मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17(600) व 18(400) में बी0सी0 द्वारा सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	111/2024/आई/520898/23-1-24/001-23-1002(002)/63/2024-दिनांक-15-03-2024	774.85 774.85 533.39 96.13 678.72	334.96	343.76	139.50
10	नि.ख.-1 बरेली	एन0एच0 24 से गौसगंज सराय धारमपुर होते हुये फतेहगंज दातागंज मार्ग	284 /2023/773 रासनि /23-1-23/002-58 आरएसएन/2022 टीसी-1 दिनंाक 16.03.2023-दिनांक-16-03-2023	191.61 191.61 115.76 8.37 183.24	136.60	46.64	1.50
11	नि.ख. बदायूं	उरैना से अँगेई सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य एवं आबादी भाग में सी.सी. एवं नाली निर्माण का कार्य।	538/2024/240-आरएसएन/ 23-1-24/ 001/23-1002(002)/154/2024-दिनांक-18-10-2024	56.81 56.81 37.50 0.60 56.21	18.09	38.12	21.50
12	प्रा.ख. अलीगढ़	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत गभाना बरौली पहासू मार्ग के किमी 5, 6(960) व 7(600) में पी0सी0 का कार्य।	538/2024/240-आरएसएन/ 23- 1-24/001/23-1002(002)/154/2024-दिनांक-18-10-2024	107.38 107.38 74.09 11.55 95.83	34.80	61.03	53.08
13	नि.ख.-1 बरेली	विकासखण्ड भुता के ग्राम सैदापुर के निकट कैलाश नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग को पूर्व स्थिति में लाने हेतु मरम्मत /सुधार कार्य।	393 /2024/आई/740432 /23-1-24/001-23-1002(002)/142 /2024 दि-11.09.2024-दिनांक-11-09-2024	127.07 127.07 87.52 19.44 107.63	27.62	80.01	74.50
14	नि.ख. सहारनपुर	नानौता ओलरा मार्ग से सीजूड मार्ग पर नवीनकरण का कार्य।	676/2024/आई/825564/ 23-1-24/001/23-1002(002)/183 /2024-दिनांक-16-12-2024	42.62 42.62 23.73 6.39 36.23	18.53	17.70	12.34
15	नि.ख.-1 मुजफ्फरनगर	चैधरी चरण सिंह नहर कांवड पटरी (बायी ओर) मार्ग के चैनेज 51.910 से 106.500 तक	90 /2024/आई/515263 /23-1- 24/001-23-1002(002)/54/202	1594.10 1594.10 919.32 175.23 1418.87	971.02	447.85	188.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	4 -दिनांक-07-03-2024				
						कुल योग-	756.33

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एवं शासनादेश संख्या-35/2024/बी-2-768/दस-2024-244/2024(II), दिनांक 27.12.2024 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 7,56,33,000/- (रूपये सात करोड़ छप्पन लाख तैंतीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-90/2025/आई/875430(1)/23-1-25/001-23-1002(002)/35/2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11-नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।